

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश

क/कीडा/194/2012/25023

भोपाल दिनांक 25/9/12

:- आदेश :-

मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42 के उपनियम (एक) के खण्ड (ए) के अधीन श्रीमती सुधा पाल कोच, कन्या कीडा परिसर शहपुरा जिला डिण्डौरी म.प्र. को उनके द्वारा दी गई सहमति के अनुसार दिनांक 30.09.2012 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति किया जाता है :

24.9.2012
(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त,

आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश

पृ.क.कीडा / 194 / 2012 / 25024

भोपाल दिनांक 25/9/12

प्रतिलिपि

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आदिम जाति तथा अनु.जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
3. कलेक्टर जिला डिण्डौरी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला डिण्डौरी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
5. संभागीय उपायुक्त आदिवासी तथा अनु.जाति विकास शहडोल/जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
6. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कोषालय अधिकारी डिण्डौरी म.प्र.
8. प्राचार्य शासकीय कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल शहपुरा जिला डिण्डौरी के पत्र क्रमांक 154 प्राचार्य/ स्था. /2011/शहपुरा दिनांक 1.10.2011 तथा पत्र दिनांक 18.10.2011 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. संबंधित श्रीमती सुधा पाल कोच कन्या कीडा परिसर शहपुरा जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

24.9.2012

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त,

आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश